

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0



रेफरेन्स प्रकरण सं0 78/13

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पदमपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र श्री बोगाराम जाति बिश्नोई साकिन 59 एल.एन.पी.
2. रामचन्द्र पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार साकिन 54 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर।

अप्रार्थीगण



रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956

वर्णित : राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से  
अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं।

आदेश

दिनांक : 19-06-17

स्टेट की ओर से तहसीलदार, (राजस्व) पदमपुर द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 45 एल.एन.पी. की जमाबन्दी संवत् 2010-13 खसरा नं 50,51,52 में 69-00 बीघा रकबा गैरमुमकिन जोहड पायतन दर्ज है। दिनांक 16-11-78 इन्तकाल सं0 26 द्वारा मुरब्बा नं0 पुराना 51 (नया 29) किला नं0 6 ता 15, 10-00 बीघा, मुरब्बा नं0 पुराना 52 (नया 25) किला नं0 11 ता 25, 15-00 बीघा कुल 25-00 बीघा अप्रार्थी सं0 1 को पुख्ता आवंटित हुई। उक्त रकबा इन्तकाल सं0 36,102,115 द्वारा 5-17 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 2 को बैय हुई। उक्त वर्णित भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित थी और आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन के लिए प्रतिबन्धित भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज किया जावे।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार, पदमपुर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी सं0 एक चक 59 एल.एन.पी. में निवास नहीं करता है। ग्राम पंचायत 69 एल.एन.पी. की रिपोर्ट दिनांक 22-5-15 के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 लगभग 35-40 वर्ष पूर्व अपनी जमीन जायदाद बेचकर कहीं अन्यत्र चला गया हैं वर्तमान में अप्रार्थी के परिवार-रिश्तेदारी में कोई नहीं रहता है। अप्रार्थी सं0 एक के नोटिस पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि सायल 59 एल.एन.पी. में आबाद नहीं है दातौर तहसील खाजूवाला में रहता है। अप्रार्थी सं0 एक का नोटिस तारीख पेशी 13-8-13 का दातौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के पते से तहसीलदार, खाजूवाला को भेजा गया जो उसके भाई बाबूराम द्वारा प्राप्त किया गया तथा शफी मोहम्मद के हस्ताक्षर बतौर गवाह करवा कर तहसीलदार, खाजूवाला द्वारा काउन्टर साईन

किये गये हैं। अप्रार्थी सं० 2 रामचन्द्र पुत्र जेठा राम पर तारीख पेशी 13-6-13 का नोटिस तामील हो चुका है, लेकिन वह बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेंस का जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रस्तुत रैफरेंस में वर्णित भूमि आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड़ पायतन दर्ज किया जाना चाहिए। राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की गैरमुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों एवं द्वारा भी जोहड़ पायतन की भूमि को खाली रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन अवैध है जो खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, पदमपुर द्वारा भू- राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट 01.02.2013 जमाबंदी चक 54 एल.एन.पी. सम्वत् 2010-2013, नामान्तरणकरण सं० 26 चक 45 एल.एन.पी. के अनुसार प्रश्नगत रकबा गैरमुमकिन जोहड़ दर्ज है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजों से होती है।

पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2013 के अनुसार चक 6 45 एल.एन.पी. की जमाबंदी सम्वत् 2013 के मुर्ब्बा नं. 50 पुराना (नया 29) में 29-00 बीघा व मुर्ब्बा नं० 52 (नया 25) में 15-00 बीघा गैरमुमकिन जोहड़ के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि में से जरिये नामान्तरणकरण सं० 26 दिनांक 16-11-78 को मुर्ब्बा नं० 51 (नया 29) के किला नं० 6 ता 15 की 10-00 बीघा व मुर्ब्बा नं० 52 (नया 25) के किला नं० 11 ता 25 की 15-00 बीघा कुल 25-00 बीघा भूमि रामप्रताप पुत्र बोघा जाति बिश्नोई सा० 59 एल.एन.पी. को खातेदारी स्वीकृत हुई। उक्त भूमि में से नामान्तरणकरण सं० 36/1 दिनांक 20-2-79 द्वारा मुर्ब्बा नं. 29 का किला नं० 6 से 8 की 3-00 बीघा, किला नं० 9 की 0.06,2/3 बीघा तथा नामान्तरणकरण सं० 102 दिनांक 24-9-96 मुर्ब्बा नं० 29 का किला नं० 9 की 0.13,1/3, किला नं० 10 की 0.18 बीघा कुल 1.11,1/3 बीघा तथा नामान्तरणकरण सं० 115 दिनांक 8-5-98 द्वारा मुर्ब्बा नं० 29 किला नं० 15 की 0.19 बीघा रामचन्द्र पुत्र जेठाराम सा० 45 एल.एन.पी. के पक्ष में बैयनामों की हैसियत से स्वीकृत होकर दर्ज रिकार्ड हुई। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2068-2071 के मु० नं० 29 का किला नं० 6/2,7-8-9,10/2,15/2 कुल 1.460 है० रकबा खरीददार रामचन्द्र पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार सा० 45 एल.एन.पी. के नाम दर्ज है।

इस प्रकार, चक 45 एल.एन.पी. की जमाबन्दी संवत् 2010-13 खसरा नं 50,51,52 में 69-00 बीघा रकबा गैरमुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज है। दिनांक 16-11-78 इन्तकाल सं० 26 द्वारा मुर्ब्बा नं० पुराना 51 (नया 29) किला नं० 6 ता 15, 10-00 बीघा, मुर्ब्बा नं० पुराना 52 (नया 25) किला नं० 11 ता 25, 15-00 बीघा कुल 25-00 बीघा अप्रार्थी सं० 1 को पुख्ता आवंटित हुई। उक्त

रकबा इन्तकाल सं० 36,102,115 द्वारा 5-17 बीघा भूमि अप्रार्थी सं० 2 को बैय हुई। उक्त वर्णित भूमि की किस्म जोहड़ पायतन दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित थी और आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन के लिए प्रतिबन्धित भूमि का अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में किया गया आवंटन एवं अप्रार्थी सं० 2 को अप्रार्थी सं० 1 द्वारा विक्रय की गई भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध दर्ज हुई है। राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है।

अतः रेफरेन्स में वर्णित भूमि की किस्म गैरमुमकिन जोहड़ होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं० 1 को किया गया है, तथा अप्रार्थी सं० 2 को भूमि का विक्रय किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है। इस प्रकार आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थीगण के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, पदमपुर को प्रेषित हो। तहसीलदार निर्णय की पालना कर समुचित कार्यवाही करे। तहसीलदार, पदमपुर को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह अप्रार्थीगण के वर्तमान निवास के पते की पुख्ता जानकारी कर तदनुसार रेफरेन्स में उसका अंकन कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 19.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*[Handwritten signature]*

(नखतदान बारहठ)  
अति. जिला कलक्टर  
अति(प्रशासन), भिलाइनगर  
भिलाइनगर